

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी :- दिव्या आर.ए.एस.

वाद संख्या :- 113/2024

दावा अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


निर्णय दिनांक :- 24/02/2024

अनुवान चन्द्रसिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

आदेश

धर्मिगण के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र/दावा एवं राज पैरोकार तहसीलदार भानीपुरा की अनुशंषा पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम आसासर तहसील भानीपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 में खाता 13 पुराना 8 में वर्तमान प्रविष्टि को आज दिनांक 24/02/24 को निम्नानुसार शुद्ध किया स्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।


खाता संख्या नया (पुराना)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
सासर 13 (8)	चन्द्र पुत्र दुलीचन्द विजयपाल पुत्र दुलीचन्द	चन्द्रसिंह पुत्र दुलीचन्द विजय पुत्र दुलीचन्द


दिव्या (आर.ए.एस.)
उपरवण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)
सरदारशहर (चूरु)

निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

तहसीलदार भानीपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद तीन में किया जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

श्री/श्रीमती


दिव्या (आर.ए.एस.)
उपरवण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर (चूरु)
सरदारशहर (चूरु)

